


—:: विज्ञप्ति ::—

जल संसाधन विभाग में आमंत्रित निविदा में भाग लेने वाला निविदाकार यह सुनिश्चित करें कि किसी एक निविदा विशेष के लिए अपना निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु वह जिस कम्प्यूटर (निजी अथवा किसी अन्य कम्प्यूटर) का उपयोग कर रहा है, उस कम्प्यूटर का उपयोग उसके अतिरिक्त अन्य कोई निविदाकार उसी निविदा के लिए नहीं करेगा। निविदाकार यह भी सुनिश्चित करें कि यदि वह बाजार के सायबर कैंफे के माध्यम से भी निविदा प्रस्तुत कर रहा है तो उसके कम्प्यूटर का उपयोग उसके पूर्व किसी अन्य निविदाकार द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति पाये जाने पर संबंधित निविदाकारों जिनके द्वारा एक निविदा के लिए एक ही कम्प्यूटर का उपयोग करना पाया जायेगा, उन सभी के निविदा प्रस्तावों को अयोग्य निविदा मानते हुये उन्हें अपात्र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित निविदाकारों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. एफ 5-8/19 /2013/निविदा, दिनांक 29.10.2014 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
31/8